UPUN010058702018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3, उन्नाव।

पीठासीन अधिकारी–प्रेम प्रकाश, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06506

सत्र परीक्षण सं0–354/2018

राज्य उत्तर प्रदेश————————————————————अभियोजन

बनाम

1. कु0 रोशनी सिंह पुत्री जयसिंह निवासी मौलाबाकीपुर, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव।

2. उत्तम सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम दयालपुर कोनई थाना अजगैन जिला उन्नाव।

.... अभियुक्तगण

मु0अ0सं0–188/2018
धारा–302 सपठित धारा–34 भा0दं0सं0
थाना–हसनगंज, जिला–उन्नाव।

कम सं0	**विवरण**	**नाम**
1.	शिकायतकर्ता/मुकदमा वादी	अनिल सिंह (मृतक का भाई)
2	अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)	श्री विनय शंकर दीक्षित एडवोकेट
3.	अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	श्री पुष्प मित्र मिश्र एडवोकेट

वाद की कार्यवाही का विवरण

कम सं0	**वाद की कार्यवाही**	**दिनॉक**
1.	घटना की तिथि व समय	21.06.2018 समय 00.00 बजे
2	एफ0आई0आर0 दर्ज करने की तिथि	21.06.2018 समय 09.20 बजे
3.	आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	10.08.2018
4.	अपराध संज्ञान की तिथि	18.09.2018
5.	कमिटल होने की तिथि	15.10.2018
6.	आरोप विरचन की तिथि	12.12.2018
7.	विचारण प्रारम्भ की तिथि	05.01.2019
8.	बहस की तिथि	05.06.2026
9.	निर्णय की तिथि	12.06.2026

निर्णय

1– थाना हसनगंज, जिला उन्नाव की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 188/2018, अन्तर्गत धारा–302 सपठित धारा–34 भा0दं0सं0, सरकार बनाम रोशनी आदि के प्रकरण में विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण कु0 रोशनी व उत्तम सिंह के विरूद्ध विचारण हेतु

आरोप पत्र संख्या–124/2018 दिनांकित 10.08.2018 विवेचक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त सत्र परीक्षण वाद न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव के सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 15.10.2018 के आधार पर विचारण हेतु सत्र न्यायालय को प्राप्त होने के उपरान्त अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जिसका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 21.06.2018 को ''वादी मुकदमा अनिल सिंह द्वारा थानाध्यक्ष हसनगंज, उन्नाव को लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 इन कथनों के साथ प्रस्तुत की है कि, ''प्रार्थी ग्राम मौलाबाकीपुर कोतवाली हसनगंज, जिला उन्नाव का निवासी है। प्रार्थी का भाई रामसिंह उर्फ बकई पुत्र लाला सिंह, जो मांगलिक कार्यकर्मों में खाना बनाने का काम करता था। कल दिनांक 20.06.2018 को पप्पू पुत्र शिवराज निवासी जिन्दासपुर कोतवाली हसनगंज के साथ नगर पंचायत मोहान में खाना बनाने गया था। रात लगभग 11.30 बजे वहाँ से अकेले चला आया। आज सुबह लगभग 7–8 बजे उसकी मोटर साइकिल पेट्रोल पम्प पर खड़ी मिली, उसका पता किया गया तो कुछ देर बाद मालूम हुआ कि डी0के0 ट्रेडर्स के पीछे नहर में लाश पड़ी मिली। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि प्रार्थी के भाई को राकेश पुत्र रामऔतार निवासी बदबदाखेड़ा मजरा सैदपुर कोतवाली हसनगंज व श्रीमती पुष्पा पत्नी जयसिंह (डगरू) व कु0 रोशनी पुत्री जय सिंह निवासी मौलाबाकीपुर थाना हसनगंज उक्त को प्रार्थी के भाई को फोन करके बुलाकर मार डाला क्योंकि प्रार्थी का भाई पूर्व में भी इन्हीं लोगों के सम्पर्क में रहता था। मृतक का फोन गायब है **जिसका नम्बर 7052315510 है।** अतः प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर उक्त राकेश आदि के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये।''

3– वादी मुकदमा अनिल सिंह की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना हसनगंज में अभियुक्तगण राकेश, श्रीमती पुष्पा व कु0 रोशनी के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.06.2018 को दर्ज की गयी।

4– दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, गवाहों का बयान अंकित किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य संकलित होने के आधार पर अभियुक्तगण कु0 रोशनी व उत्तम सिंह के विरूद्ध धारा–302 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र संख्या 124/2018 दिनांकित 10.08.2018 तैयार कर न्यायालय प्रेषित किया गया। उक्त आरोप पत्र संज्ञान लेने के पश्चात विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण दिनांकित 15.10.2018 को वाद सत्र सुपुर्द किया गया है।

5– पत्रावली सत्र न्यायालय को सत्र सुपुर्द होने के पश्चात तत्कालीन न्यायालय चुतर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) एवं विद्युत अधिनियम उन्नाव महोदया द्वारा दिनांक 12.12.2018 को अभियुक्तगण कु0रोशनी व उत्तम सिंह के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग किया।

6– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है:–

कम सं0	**अभियोजन साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**
1.	पी0डब्लू–1	अनिल सिंह (वादी मुकदमा)
2	पी0डब्लू–2	शशीकान्त सिंह (पंचायतनामा गवाह)
3.	पी0डब्लू–3	निरीक्षक धर्मवीर सिंह (विवेचक)
4.	पी0डब्लू–4	एस0आई0 स्वदेश कुमार (विवेचक)
5.	पी0डब्लू–5	पप्पू गुप्ता
6.	पी0डब्लू–6	डा0 तौसीफ हुसैन रिजवी (पोस्टमार्टमकर्ता)

7– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों को प्रस्तुत किया गया है एवं उन्हें साबित कराया गया है–

कम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**प्रपत्र**	**साक्षी संख्या (साबितकर्ता)**
1	**प्रदर्श क–1**	लिखित तहरीर	**पी0डब्लू–1 अनिल सिंह वादी**
2	**प्रदर्श क–2**	पंचायतनामा मृतक रामसिंह	**पी0डब्लू–2 शशीकान्त सिंह**
3	**प्रदर्श क–3**	घटनास्थल नक्शा नजरी,	**पी0डब्लू–3 निरीक्षक धर्मवीर सिंह**
4	**प्रदर्श क–3अ**	घटना में प्रयुक्त दुपट्टा की फर्द बरामदगी	
5	**प्रदर्श क–4**	दुपट्टा की फर्द बरामदगी का नक्शा नजरी	
6	**प्रदर्श क–5**	सी0डी0आर0	
7	**प्रदर्श क–6**	आरोप पत्र	
8	**वस्तु प्रदर्श–1**	दुपट्टा छीटदार,	**पी0डब्लू–3 निरीक्षक धर्मवीर सिंह**
9	**वस्तु प्रदर्श–2**	एक बैट्री लावा कम्पनी	
10	**वस्तु प्रदर्श–3**	मोबाइल लावा कम्पनी का बैक कवर गोल्डन कलर मय का कवर	
11	**प्रदर्श क–7**	चिट्ठी आर0आई0	**पी0डब्लू–4 एस0आई0 स्वदेश कुमार**
12	**प्रदर्श क–8**	चिट्ठी सी0एम0ओ0	
13	**प्रदर्श क–9**	नमूना शील	
14	**प्रदर्श क–10**	फोटोलाश	
15	**प्रदर्श क–11**	चालान लाश	
16	**प्रदर्श क–13**	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	**पी0डब्लू–6 डा0 तौसीफ हुसैन रिजवी**

8– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी–1** के रूप में **अनिल सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है कि, ''मेरे भाई मृतक का नाम रामसिंह उर्फ बकई था। यह शादी

ब्याह में खाना बनाने का काम करता था। घटना दिनांक 20.06.18 को मेरा भाई पप्पू ठेकेदार के साथ मोहान खाना बनाने के लिए गया था। मेरा भाई रामसिंह साढ़े 11–12 बजे रात में मोहान से घर के लिए अकेले वापस निकला था। रात में घर वापस नहीं आया। सुबह मालूम हुआ कि समय 7–8 बजे मेरे भाई रामसिंह की मोटर साइकिल पेट्रोल पम्प पर खड़ी है। मैं वहॉ गया और पता किया, अपने भाई को ढूंढा तो उसकी लाश बी0के0 ट्रेडर्स के पीछे नहर में (बम्बी में) पड़ी है। मैनें जाकर देखा था। **मेरा भाई अभियुक्ता रोशनी, जो मौलाबाकीपुर थाना हसनगंज की रहने वाली है, उसके घर आता जाता था। मेरे भाई रामसिंह को रोशनी, उत्तम, राकेश, पुष्पा चारों लोगों ने मिलकर मारा था।** इसकी रिपोर्ट करने मैं थाना हसनगंज गया था। रिपोर्ट मैनें थाने के बाहर एक व्यक्ति से बोल–बोल कर लिखवाई थी। रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति का नाम पता मुझे याद नहीं। उसने रिपोर्ट लिखने के बाद मुझे पढ़कर सुनाया था। रिपोर्ट कागज सं0–4क/4 गवाह को दिखाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा यह वही रिपोर्ट है, जो मैनें बोल–बोल कर लिखवाई थी। रिपोर्ट पर बने हस्ताक्षर की गवाह ने पुष्टि की। रिपोर्ट शामिल पत्रावली है जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। **मेरे भाई को रोशनी ने उसी दिन रात में फोन करके बुलाया था। मेरे भाई का मोबाइल नं0–7052165510 था। मेरे भाई के शव के पास फोन बरामद नहीं हुआ था।** दरोगा जी ने घटना के बाबत मेरा बयान लिया था।''

बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रति–पृच्छा करने पर उक्त साक्षी ने प्रति पृच्छा में यह बयान दिया कि '' मेरे गांव मौलाबाकीपुर से पेट्रोल पम्प जहॉ भाई की मोटर साइकिल खड़ी थी, वह जगह मेरे गांव से आधा किमी0 पश्चिम की तरफ है और जहॉ पेट्रोल पम्प पर मेरे भाई की मोटर साइकिल खड़ी थी, वहॉ से लगभग 01 किमी0 पूरब मेरे भाई की लाश बरामद हुई थी। मेरे गांव से दक्षिण तरफ लगभग एक किमी0 की दूरी पर मेरे भाई की लाश बरामद हुई थी। **मेरे भाई का नाम रामसिंह था। मेरे भाई को बकई भी कहते थे।** मेरा भाई कक्षा 8 तक पढ़ा था। मेरा भाई खाना बनाने का काम करता था। **मेरा भाई खाना बनाने का ठेकेदार नहीं था, वह खाना बनाता था और ठेकेदार के साथ खाना बनाने जाता था।** मेरा भाई ठेकेदार के साथ परमानेन्ट नौकरी नहीं करता था। जब–जब सहालक होती थी, तब साथ खाना बनाने जाता था। ठेकेदार से मेरे भाई को तीन साढ़े तीन सौ रूपये के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। साल में मेरे भाई को लगभग 40–50 दिन की खाना बनाने की मजदूरी मिल जाती थी। मेरा भाई रामसिंह खाना बनाने के अलावा अन्य कोई रोजगार नहीं करता था। **जिस दिन मेरे भाई की लाश मिली, उसके एक दिन पहले मेरा भाई मोहान खाना बनाने गया था। घर से मेरे भाई खाना बनाने के लिये लाश मिलने के एक दिन पहले सुबह 9 बजे लगभग मोटर साइकिल से गया था।** मेरे घर से मोहान लगभग पांच किमी0 दूर पूरब तरफ है। जहॉ मेरा भाई खाना बनाने गया था। भाई मोहान में किसके यहॉ खाना बनाने गया था, ज्ञात नहीं। भाई जब सहालक में खाना बनाने जाता था, तब रात में घर वापस लौट आता था। कभी 12 बजे रात में, कभी एक बजे रात में और कभी दो बजे रात में घर वापस लौटता था। जब घटना वाली

रात में मेरा भाई घर लौट कर नहीं आया, तब मेरे भाई की पत्नी ने भाई को फोन लगाया तो स्विच ऑफ बताता रहा। जब रात करीब एक–डेढ़ बजे मेरे भाई की पत्नी ने मुझे फोन किया और बताया कि तुम्हारा भाई लौट कर घर नहीं आया है, तब मैनें भाई की पत्नी से कहा कि बाग में लेटा होगा। मेरे भाई की बाग मेरे घर से पश्चिम दिशा में दो किमी0 पर है। यह बाग हमारी अपनी निजी है। उस बाग में 8 आम के पेड़ हैं। मैं रात में भाई को ढूंढने नहीं गया था। मेरे भाई की पत्नी भी रामसिंह को खोजने नहीं गयी थी। रात में मेरे भाई की पत्नी घर में सोई, मैं अपनी बाग में सोया था। मेरा घर शामिल सरीक है। केवल हम और भाई अलग–अलग बागों में रहते थे। जिस बाग में मैं रहता था, उससे एक किमी0 उत्तर की तरफ मेरे भाई का बाग में रहता था। **रात में मैं भाई को बाग में देखने नहीं गया था। मुझे पहले पहल करीब 8–8.30 बजे सुबह भाई की लाश नहर में होने की सूचना मिली थी।** यह सूचना मुझे गांव वालों ने दी थी। सूचना मुझे फोन से मिली थी। सूचना मेरे चाचा के लड़के को गांव वालों ने दिया था। चाचा के लड़के ने फोन करके बताया था।

मेरा भाई मोहान जाने के लिए सुबह निकला था। मोटर साइकिल से निकला था। खाना बनाने वाले पप्पू ठेकेदार से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। पप्पू ठेकेदार दूसरे दिन लाश देखने आये थे, तब मिले थे। उस दिन भी मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। **जिस दिन मेरे भाई की हत्या हुई थी, उसी दिन मुझे पता चला था कि वह मोहान से घर के लिए अकेले चला था।** मैं मोहान नहीं गया था। **मुझे दीपक सिंह तिवारी लेवर ने बताया था कि मेरा भाई मोहान से घर के लिए अकेले निकला था।** यह बात दीपक सिंह तिवारी ने मुझे लाश मिलने के बाद बताया था। पंचायतनामा भरा जा रहा था, उस समय अथवा बाद में यह बात बताई थी, मुझे इस समय याद नहीं है। पंचायतनामा की लिखा पढ़ी की कार्यवाही दिन में साढ़े दस से पौने ग्यारह के बीच में प्रारम्भ हुई थी। कितनी देर तक पंचायतनामा की कार्यवाही होती रही, मुझे इस समय याद नहीं। पंचायतनामा भरने के बाद मैं थाने गया था। थाने हम लोग 5–6 लोग परिवार के लोगों के साथ गये थे। थाने पर रिपोर्ट मैनें दूसरे से लिखवाई थी। किसने रिपोर्ट लिखी थी, नाम याद नहीं है। थाने पर लगभग एक घण्टा रूका था। थाने पर रिपोर्ट की नकल दी गयी थी। थाने से मोटर साइकिल से वापस घर गये थे। **घटना के लगभग एक साल पहले से मेरा भाई रोशनी के घर आता जाता था। रोशनी के घर जब मेरा भाई आता जाता था, तब उस समय मेरे भाई की शादी हो गयी थी।** मेरा भाई गांव में यार दोस्तों के यहॉ सबके यहॉ आता जाता था। वह किसके–किसके घर आता जाता था, नाम मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उसके पीछे–पीछे आता जाता नहीं था। मेरा भाई रोशनी के घर जब जाता था, तब भी मैं अपने भाई के पीछे–पीछे नहीं जाता था। **लोगों ने उसे बताया था कि मेरा भाई रोशनी के घर आता जाता था, इसी के आधार पर मैनें अदालत में बताया है।** रोशनी भी मेरे गांव की है। राकेश अभियुक्त बदबदाखेड़ा का रहने वाला है। राकेश का घर मेरे गांव से तीन किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन राकेश गजफ्फरनगर की पुलिया के पास रहता है। मुल्जिम उत्तम दयालपुर का रहने वाला है। **मैं उत्तम सिंह को नहीं जानता था इसलिये मैं**

अपनी रिपोर्ट में उत्तम सिंह को मारने वालों में नहीं लिखाया था। दरोगा जी ने मेरा कभी बयान नहीं लिया था। मैनें दरोगा जी को यह नहीं बताया था कि उत्तम सिंह मारने वालों में था। यह बात कि उत्तम सिंह भी मारने वालो में था, यह बात मैनें अदालत में पहली बात बताई है। **जब मेरा भाई रामसिंह मरा था, तब उसके एक साल की बच्ची थी।** जिस समय **रामसिंह की हत्या हुई, उस समय उनकी पत्नी घर पर थी।** शादी के बाद रामसिंह की पत्नी रामसिंह के साथ रहती थी। रामसिंह का चाल चलन मेरे हिसाब से अच्छा था, खराब नहीं था। यह कहना गलत है कि मैनें मुल्जिमान के विरोधियों से मिलकर उनके सिखाने से मैनें झूठी रिपोर्ट थाने में लिखाई हो। यह भी कहना गलत है कि मैनें अदालत में बयान झूठा दिया हो।''

<u>जिरह द्वारा अभियुक्ता रोशनीः—</u>

मैनें रामसिंह की हत्या होते किसी को नहीं देखा था। गांव के लोगों ने बताया था। गांव वालों द्वारा बताने वाली बात मैनें अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखाई थी। यह कहना गलत है कि मैनें गांव वालों के कहने पर झूठी एफ0आई0आर0 लिखाई हो और झूठा अदालत में बयान दिया हो।''

9— अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी—2** के रूप में **शशीकान्त सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है कि, ''दिनांक 21.06.18 को सुबह करीब 8.00 बजे मुझे सूचना मिली कि मेरे गांव के रामसिंह उर्फ बकई की हत्या हो गयी हैं तथा शव बी0के0 ट्रेडर्स के पीछे नहर बम्बी में पड़ा है। मैं भी वहॉ मौके पर गया, वहॉ पर पुलिस आ गयी थी। **पुलिस ने मृतक रामसिंह उर्फ बकई के शव का पंचायतनामा मेरे सामने किया था। मुझे भी पंचान नियुक्त किया था।** पंचायतनामा मेरे सामने भरा गया था। पंचायतनामा पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं जो शामिल पत्रावली है जिस पर **प्रदर्श क—2** डाला गया। **मैं ग्राम प्रधान शशी सिंह का प्रतिनिधि होने के नाते पता किया था तो पता चला कि रामसिंह उर्फ बकई की हत्या गांव की लड़की रोशनी व उत्तम सिंह, पुष्पा सिंह, राकेश सिंह ने करके नहर में डाल दिया था।** दरोगा जी ने मेरा बयान लिया। ''

बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रति—पृच्छा करने पर उक्त साक्षी ने प्रति पृच्छा में यह बयान दिया कि ''रामसिंह की हत्या होते मैनें स्वयं नहीं देखा। लोगों के कहने पर राकेश सिंह, पुष्पा सिंह और रोशनी द्वारा हत्या किये जाने वाली बात सुनी थी। वही मैनें पिछली पेशी पर अपने बयानों में बताया था। मैं उत्तम सिंह को नहीं जानता। जब बन्द हुए तब मैनें उत्तम सिंह को जाना, जो मैनें गांव में चर्चा सुनी, उसमें उत्तम सिंह का नाम नहीं था। बाकी तीन लोगों का नाम था। पंचायतनामा की कार्यवाही 10.30 बजे सुबह शुरू हुई थी और पौने ग्यारह बजे समाप्त हुई थी। **पंचायतनामा पर दस्तखत मैनें पंचायतनामास्थल पर किया था।** मेरे अलावा अन्य लोगों लक्ष्मीकान्त, रजयपाल, सुमेर, रामकिशन जो श्रीराम के लड़के है और अनिल सिंह ने पंचायतनामा पर हस्ताक्षर बनाये थे। यह कहना गलत है कि मैनें पंचायतनामें पर दस्तखत थाने पर किये हो। यह भी कहना गलत है कि वादी मुकदमा का मेली मददगार होने के कारण झूठी गवाही दे रहा

हूँ।''

<u>जिरह द्वारा अभियुक्ता रोशनीः—</u>

रामसिंह उर्फ बकई की हत्या 21 जून 2018 को हुई थी। जब हम 7 बजे दिन में पहुंचे, तब पुलिस वहॉ मौजूद थी। वहॉ पर करीब मैं 15 मिनट से आधा घण्टा तक रूका रहा। जब मैं वहॉ पहुंचा था, तब लाश को नहर से उठाकर लायी गयी थी। लाश को कौन उठाकर लाया था, खेत से, यह मुझे नहीं मालूम है। मैनें रामसिंह की हत्या करते किसी को नहीं देखा। दरोगा जी ने लाश की लिखा पढ़ी की थी, कितने बजे लिखा पढ़ी की, याद नहीं है। मैं करीब आधा घण्टा तक रूका रहा था। लाश मेरे सामने शील मोहर की गई थी। समय याद नहीं है। लाश मौके से मेरे सामने उठाकर पुलिस ले गयी थी। लाश पुलिस उठाकर कहां ले गई, मुझे नहीं मालूम। दरोगा जी ने थाने पर पंचायतनामा पर हमसे हस्ताक्षर बनवाये थे। यह कहना गलत है कि पुलिस के दबाव में झूठी गवाही दी हो।''

10— अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी—3** के रूप में **निरीक्षक धर्मवीर सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है कि, ''दिनांक 21.06.2018 को मैं प्रभारी निरीक्षक थाना हसनगंज उन्नाव में नियुक्त था। दिनांक 21.06.2018 समय 9.20 सुबह वादी श्री अनिल सिंह पुत्र लाला सिंह निवासी मौलाबाकीपुर थाना हसनगंज उन्नाव की तहरीर पर मु0अ0सं0—188/18 धारा—302 भा0दं0सं0 पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना मुझ निरीक्षक द्वारा ग्रहण की गयी। पर्चा नं0—1 दिनांक 21.06.2018 को किता किया गया जिसमें नकल तहरीर अवलोकन, नकल रिपोर्ट व घटनास्थल पर पहुंच कर वादी का बयान व गवाहों का बयान व वादी के निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर **प्रदर्श क—3** डाला गया। दिनांक 22.06.2018 को पर्चा सं0—2 किता किया गया जिसमें सी0डी0आर0 का अवलोकन व नामित अभियुक्ता रोशनी पुत्री जयसिंह निवासी मौलाबाकीपुर की गिरफ्तारी की गयी। उसके बयान व सी0डी0आर0 के अवलोकन से प्रकाश में आए अभियुक्त उत्तम सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी दयालपुर कोनई की गिरफ्तारी की गयी और उनके बयान अंकित किये गये **और उसने कड़ाई से पूंछतांछ की गयी तो उन्होनें बयान अभियुक्ता रोशनी के प्रेम सम्बन्ध मृतक रामसिंह से पूर्व में थे। उसकी शादी होने के बाद उससे मिलना जुलना छोड़ दिया। उसके बाद साथ में पढ़ने वाले उत्तम सिंह से बना लिये। यह रामसिंह को पसंद नहीं था और वो धमकी देता था, जिस कारण हम दोनों योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 20/21.06.18 की रात में उत्तम सिंह के मो0 फोन नं0—7348270689 से रामसिंह के मो0 नं0—7052315510 पे फोन करके अपने बाग बम्बी पर बुलाया। थोड़ी देर बाद रामसिंह आ गया। हम मिलने गये तो पीछे से उत्तम सिंह ने मेरे दुपट्टे से रामसिंह का गला कस दिया, कहीं जिन्दा न बच जाए इसलिये उसकी बेल्ट व बनियान से हम दोनों ने मिलकर गला कस कर मार दिया।** लाश को वहीं छोड़कर उत्तम सिंह दुपट्टा व रामसिंह का मोबाइल लेकर चला गया था। हमलोग लखनऊ भागने वाले थे इसलिये

उत्तम सिंह आये थे कि आप लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया। इस कारण गिरफ्तारी बताकर दिनांक 22.06.18 को समय 10.00 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। **अभियुक्त के निशादेही पर मृतक का मोबाइल कवर व बैट्री और घटना में प्रयुक्त दुपटटा राजबहादुर शर्मा के बाग में बरामद किया,** जिसे मौके पर ही सील सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर ही अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार कर पढ़ाकर साक्षीगणों के हस्ताक्षर बनवाए गए। फर्द की एक प्रति अभियुक्त उत्तम सिंह को देकर हस्ताक्षर बनवाए गए। पत्रावली में शामिल फर्द कागज सं0–क5/6 लगायत क5/7 साक्षी ने देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान की। जिसपर **प्रदर्श क–3अ** डाला गया और बरामदगी का नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार किया जो पत्रावली में कागज सं0–7क/2 शामिल है जिसे साक्षी ने देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। दिनांक 27.06.18 को पर्चा सं0–3 किता कर प्राप्त सी0डी0आर0 का अवलोकन कर दर्ज किया। पत्रावली में शामिल सी0डी0आर0 कागज सं0–5क/15 लगायत 5क/36 साक्षी ने देखकर पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। कार्यालय से प्राप्त मृतक की पी0एम0 रिपोर्ट व पंचायतनामा अवलोकन कर दर्ज किया। दिनांक 03.07.18 को पर्चा सं0–4 किया कर बयान गवाहान पंचायतनामा दर्ज किया। दिनांक 13.07.18 को पर्चा सं0–5 किता कर अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये। दिनांक 06.08.18 को पर्चा सं0–7 किता कर प्राप्त सी0डी0आर0 का अवलोकन कर दर्ज किया। नामजद अभियुक्त राकेश सिंह की लोकेशन घटनास्थल पर घटना वाले समय नहीं पायी गयी। दिनांक 10.08.18 को पर्चा सं0–8 किता किया गया जिसमें पंचनामा करने वाली एस0आई0 का बयान व एफ0आई0आर0 लेखक का बयान अंकित किया गया। उसके बाद नामित आरोप राकेश सिंह और श्रीमती पुष्पा सिंह का बयान अंकित किया गया। तमामी विवेचना, साक्ष्य संकलन, बयान साक्षी और सी0डी0आर0 रिपोर्ट के आधार पर नामजद अभियुक्तगण राकेश सिंह व श्रीमती पुष्पा के नामजदगी गलत पायी गयी। उनका नाम प्रथक किया गया। नामजद अभियुक्त कु0 रोशनी व प्रकाश में आए उत्तम सिंह के विरूद्ध जुर्म धारा–302 भा0दं0सं0 साबित होने पर आरोप पत्र सं0–124/18 सी0सी0टी0एन0एस0 कम्प्यूटर ऑपरेटर से तैयार कराकर अपने हस्ताक्षर से न्यायालय प्रेषित किया। आरोप पत्र कागज सं0–3क/1 लगायत 3क/4 साक्षी ने देखकर अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। थाने के पैरोकार द्वारा सील सर्व मोहर हालत में माल मुकदमा लाया गया जिस पर मुकदमा अ0सं0–188/18 धारा–302 भा0दं0सं0 बनाम उत्तम सिंह as sketeh pen से लिखा हुआ है। न्यायालय की अनुमति से एक बण्डल खोला गया, उसमें एक दुपट्टा छीटदार निकला जिसपे **वस्तु प्रदर्श–01** डाला गया जिसमें एक बैट्री है। लावा कम्पनी का मोबाइल का बैक कवर गोल्डन कलर का मय कवर का निकला जिसपे क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–02 और 03** डाला गया **जिसे साक्षी ने देखकर कहा यही सामान अभियुक्तगणों की निशादेही पर बरामद किया गया था।"**

बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रति–पृच्छा करने पर उक्त साक्षी ने प्रति पृच्छा में यह बयान दिया कि ''इस मुकदमें में तीन मुल्जिम नामित थे जिनका नाम राकेश, श्रीमती पुष्पा व कु0 रोशनी हैं। मृतक का राकेश से कोई सम्बन्ध नहीं था। श्रीमती पुष्पा का राकेश से कोई सम्बन्ध नहीं था। राकेश सिंह और पुष्पा सिंह से दौरान दिनांक 10.08.18 को पहली बार मिले थे। मैनें उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। जब तक विवेचना मेरे पास रही। इस मुकदमें से सम्बन्धित को प्रत्यक्षदर्शी गवाह मुझे नहीं मिला। **अभियुक्ता रोशनी मुझे घटना के दूसरे दिन दिनांक 22.06.18 को अपने बाग में प्रातः 9 बजे के करीब मिली थी।** बाग में वो अकेली बैठी थी। उसका स्वयं का आम का बाग था। उसी में बैठी थी। जब रोशनी सिंह मिली थी तो उससे पूंछतांछ की थी। जब पूंछतांछ की थी तो उसका बयान दर्ज किया था। उसका बयान मैनें स्वयं दर्ज किया था, जो मैनें बयान लिखा था वो केस डायरी में लिखा था। अलग से कोई बयान नहीं लिखा था। रोशनी सिंह का बयान केस डायरी में लिखने में 15 मिनट लगे होगें। **रोशनी ने बयान में बताया कि हम लोगों ने मृतक रामसिंह की हत्या की है, और उसका दुपट्टा बाग में स्थित पेड़ में टांग दिया है और पेड़ पर जो दुपट्टा टंगा है, उसी से उसकी हत्या की है। लगभग 40–50 कदम के फासले पर दुपट्टा पेड़ पर लटका मिला।** जहॉ पर बैठे थे, वहॉ से दुपट्टा नहीं दिख रहा था। जहॉ दुपट्टा पेड़ पर टंगा था, वो हर किसी को पेड़ के पास जाने वाले को दिख रहा था। दुपट्टा हांथ में पकड़कर, मैनें खींच लिया था। **वही पेड़ के पास मृतक का मोबाइल कवर व बैट्री पड़ी मिली थी।** दुपट्टा, मोबाइल, बैट्री और मोबाइल कवर जो मैनें बरामद किये थे वो आज न्यायालय में नहीं है। सारी रिकवरी करने के बाद रोशनी सिंह व उत्तम सिंह को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करके उनको थाने भेजा था। रोशनी सिंह से बयान लेने के 10–15 मिनट बाद उत्तम सिंह बाग में आ गया था। यह कहना गलत है कि सारी बरामदगी फर्जी दिखायी हो। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमान को थाने बुलाकर झूठा साक्ष्य बनाया गया हो। यह भी बयान गलत है कि मुल्जिमान ने न कोई बयान दिया हो और पूरा मुकदमा मुल्जिमान के खिलाफ झूठा लिखा हो। यह भी कहना गलत है कि बरामद दुपट्टा रोशनी सिंह का न हो और थाने पर बाहर से दुपट्टा खरीद कर बरामदगी दिखायी हो जो बरामदगी मैनें दिखायी है, उसमें जनता के किसी गवाह ने हस्ताक्षर नहीं लिये हैं। जनता के लगभग 10–20 लोग बरामदगी व गिरफ्तारी की कार्यवाही को देख रहे थे। जनता के गवाहों से उनके नाम पता पूंछे थे लेकिन किसी ने अपना नाम पता नहीं बताये थे। मैनें किसी को भी नाम पता न बताने पर किसी को कोई नोटिस नहीं दी थी। मुझे इस बात की जानकारी है कि कोई व्यक्ति बरामदगी व गिरफ्तारी की कार्यवाही देख रहा है और गवाह बनने से इंकार कर रहा है। तब उसे नोटिस देकर कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन मैनें इसके बावजूद किसी के खिलाफ नोटिस जारी नहीं की। यह कहना गलत है कि आज झूठी गवाही दे रहा हूॅ।''

11– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी–4** के रूप में **एस0आई0 स्वेदश कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिसने **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है कि, ''दिनांक 30.06.2018 को मैं थाना हसनगंज में

उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिन मृतक रामसिंह उर्फ बकई के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही सम्पादित कराई थी। पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु प्रपत्र पत्रावली में पूर्व प्रदर्शित प्रदर्श क–2 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर सम्बन्धित लोगों के भी आलामात बने हुये हैं। पंचायतनामा सम्बन्धित अन्य प्रपत्र चिट्ठी आर0आई0 कागज सं0–6क/6, चिट्ठी सी0एम0ओ0 कागज सं0–6क/7, नमूना शील कागज सं0–6क/8, फोटोलाश कागज सं0–6क/9, चालान लाश कागज सं0–6क/10 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है तथा जिनपर क्रमशः **प्रदर्श क–7, 8, 9, 10 व 11** डाला गया है।''

बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रति–पृच्छा करने पर उक्त साक्षी ने प्रति पृच्छा में यह बयान दिया कि '' मृतक के गले में फसे बेल्ट की फर्द बनाई थी या नहीं, मुझे याद नहीं है। मृतक के गले में फंसा बेल्ट मिला था या नहीं, नहीं याद है।

यह कहना गलत है कि पंचायतनामा थाने पर बैठकर लिखा हो। यह भी कहना गलत है कि उच्चाधिकारियों के दबाव में झूठी कार्यवाही की हो। यह भी कहना गलत है कि आज अदालत में झूठा बयान दिया हो।''

12– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी–5** के रूप में **पप्पू गुप्ता** को परीक्षित कराया गया है, जिसने **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है कि, ''मैं शादी समारोह के कार्यक्रम में शादी में खाना बनाने का ठेका लेता हूँ। दिनांक 20.06.2018 को मोहान में रंजीत की लड़की की शादी में खाना बनाने का ठेका लिया था **जिसमें खाना बनाने के काम में अनूप चौहान, मल्लर रोहित, अनिल तिवारी, संजय तिवारी, रामसिंह उर्फ बकई मेरे साथ खाना बनाने के काम में थे जिसमें संजय तिवारी, अनिल तिवारी व रामसिंह उर्फ बकई पूड़ी बनाने का काम कर रहे थे। उसी रात 12 बजे के आस पास रामसिंह उर्फ बकई के फोन पर किसी का फोन आया और वह रोहित तिवारी व अनिल तिवारी से यह बताते हुए कि जब खाना बनाने का काम खत्म हो जाये तो मुझे बता देना, मैं सामान समेटने आ जाऊँगा और बकई मोटर साइकिल लेकर चला गया। बाद में उसको फोन किया गया तो रात दो बजे के आस पास उसका फोन उठा लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। फिर उसका मोबाइल बन्द हो गया। बी0के0 ट्रेडर्स के पीछे नहर में रामसिंह उर्फ बकई का शव पड़ा है।** इसकी जानकारी मुझको सुबह हुई थी। बाद में जहॉ उसका शव पड़ा था, गया था और मैनें वहॉ जाकर देखा था। बाद में पुलिस ने मेरा बयान लिया था।''

बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रति–पृच्छा करने पर उक्त साक्षी ने प्रति पृच्छा में यह बयान दिया कि ''मैं हलवाई का कार्य करता हूँ। मैं शादी बारात में खाना बनाने का ठेका लेता हूँ। मैं मृतक रामसिंह उर्फ बकई को स्थाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त नहीं किया था वरन जब–जब बारात पड़ती थी, तब उसे बुला लेता था। मोहान में रंजीत के यहॉ खाना बनाने का कार्य घटना वाले दिन पर कर रहा था। वहॉ पर लगभग 10–15 लोग थे। वेटरस कई थे, नाम इतना याद नहीं। खाना बनाने वाले लगभग 10 लोग रहे थे, शेष वेटर इत्यादि थे। मृतक रामसिंह उर्फ बकई बताकर नहीं गया था कि वह कहॉ जा रहा है। लगभग रात्रि में 12 बजे का फोन आया जो लड़के वहॉ काम कर रहे थे उसके द्वारा हमें मालूम चला कि वह मृतक रामसिंह जा चुका है। मैनें बकई को जाते हुए नहीं देखा था। बकई के साथ क्या घ टना घटी, मैनें नहीं देखा। यह कहना गलत है कि मैं पुलिस के दबाव में झूठी गवाही दे रहा हूँ।''

13— अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए **अभियोजन साक्षी—6** के रूप में **डा0 तौसीफ हुसैन रिजवी** को परीक्षित कराया गया है, जिसने **मुख्य परीक्षा** में सशपथ बयान दिया है कि, ''दिनांक 21.06.2018 को मृतक रामसिंह उर्फ बकई पुत्र लाला सिंह निवासी मौलाबाकीपुर थाना हसनगंज उन्नाव उम्र लगभग 30 वर्ष, जिसके शव को सी0पी0 कां0 अनिल सिंह व होमगार्ड 1669 थाना हसनगंज लेकर आये थे। शव की शिनाख्त मृतक के कजिन ब्रदर विजय पाल सिंह के द्वारा की गयी थी। उक्त मृतक के शव का पोस्टमार्टम मेरे सहकर्मी डा0 विशाल भगत, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, के द्वारा 4 पी0एम0 पर प्रारम्भ करके 4.40 पी0एम0 पर समाप्त किया गया था। डा0 विशाल भगत के सहकर्मी होने के नाते भली भांति पहचानता हूँ।

<u>बाह्य परीक्षणः—</u> शव की लम्बाई 156 सेमी0 मध्यम औसत कद काठी की थी तथा मृत्यु **पश्चात की अकड़न शरीर के निचले व ऊपरी हिस्सों में मौजूद थी। PM Stanining पीठ व नितम्ब में मौजूद थी। दोनों आंखे बन्द तथा Conjested थी तथा जीभ बाहर निकली हुई थी। एण्टीमार्टम इन्जरी मध्य पूर्व की आई चोटः—**

<u>चोट नं0—1</u> कन्टूजन 10 सेमी0 गुणे 9 सेमी0, जो कि दाहिने कान से ठीक ऊपर था।

<u>चोट नं0—2</u> लिगेचर मार्क 30 सेमी0 गुणे 2.75 सेमी0 जो कि गर्दन के चारों ओर थाइराइड ग्रन्थ के ठीक ऊपर Horjantol था जो कि दाहिने कान से 3 सेमी0 नीचे था तथा ठोड़ी से 3.50 सेमी0 तथा बाये कान से 3.00 नीचे था। लिगेचर मार्क का निशान शाफ्ट व रेडिस ऊपर से था तथा काटने पर शव क्यूटीनियस टिशू काईमोशिश थी।

<u>चोट नं0—3</u> लिगेचर मार्क 30 गुणे 3.75 सेमी0 जो कि गर्दन के मध्य में तथा नीचे की ओर हाईजेन्टरी जा रहा था और 5.5 से0मी0 का कन्टयूजन मार्क, जो कि दाहिने कान से नीचे था तथा जो कि 6 सेमी0 ठोड़ी के नीचे था तथा जो कि 5.5 से0मी0 बाये कान से नीचे था। उक्त लिगेचर मार्क का निशान शाफ्ट व रेडिस था तथा काटने पर सबक्यूटरीनियस काईमोशिश मौजूद थी।

<u>आन्तरिक परीक्षणः—</u> मस्तिष्क की झिल्लियॉ व मस्तिष्क Conjested था **तथा हाइडअस्थी टूटी हुई थी तथा टेनडनी भी टूटी हुई थी।** फ्लूरा व फेफड़े Conjested थे। ह्दय के दाहिना चेम्बर भरा हुआ था तथा बाया चेम्बर खाली था। आमाशय में 400 एम0एल0 का भोजन अधपचा मौजूद था। छोटी आंत में गैस में चिपचिपा पदार्थ मौजूद था। बड़ी आंत में गैस व मल मौजूद था। लीवर प्लीहा व दोनों गुर्दे Conjested थे। गाल ब्लेडर आधा भरा हुआ था।

मृत्यु एक दिन के अन्दर की थी तथा मृत्यु का तत्कालीन कारण दम घुटना था जो कि इण्टीमार्टम स्ट्रेंगुलेशन (गला घुटने) के कारण का था तथा जो कि किसी दूसरे के द्वारा कारित किया गया था और वह मृत्यु के लिए पर्याप्त थी। शव परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में सलंग्न कागज सं0—6क/1 लगायत 6क/3 है जिस पर डा0 विशाल भगत के हस्ताक्षर बने हुए हैं जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ तथा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूँ। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट पर **प्रदर्श क—13** डाला गया है।''

बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी से प्रति—पृच्छा करने पर उक्त साक्षी ने प्रति पृच्छा में यह बयान दिया कि ''पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे सामने नहीं तैयार की गयी थी। मैनें

मृतक के शरीर पर कोई चोटें नहीं देखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे सामने तैयार भी नहीं की गई थी। यह कहना गलत है कि मैं डा0 विशाल भगत के हस्ताक्षर नहीं पहचानता हूँ। यह भी कहना गलत है कि आज मैं न्यायालय में झूठा व गलत बयान दे रहा हूँ। ''

14– अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2024 को **अभियुक्ता कु0रोशनी** का धारा 313 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित किया गया है जिसमें अभियुक्ता ने प्रश्न 1 का उत्तर गलत होना, प्रश्न 2 लगायत 6 का उत्तर गलत बयान देना, प्रश्न 7 का उत्तर मुकदमा रंजिशन चलना, प्रश्न 8 का उत्तर सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करना तथा प्रश्न 9 का उत्तर वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है, कहा है।

दिनांक 11.04.2025 को अभियुक्ता कु0रोशनी का **धारा 313 दं0प्र0सं0 का अतिरिक्त बयान** अंकित किया गया जिसमें अभियुक्ता ने प्रश्न 1 का उत्तर गलत होना, प्रश्न 2 लगायत 4 का उत्तर गलत बयान व झूठी बरामदगी होना, प्रश्न 5 का उत्तर कुछ नहीं कहना, प्रश्न 6 का उत्तर गलत बयान देना, प्रश्न सं0–7 का उत्तर गलत होना, प्रश्न 8 का उत्तर रंजिशन व पार्टी बन्दी के कारण मुकदमा चलना व प्रश्न 9 का उत्तर सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करना व प्रश्न 10 का उत्तर वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है, कहा है।

दिनांक 11.09.2025 को न्यायालय द्वारा अभियुक्ता कु0रोशनी का अतिरिक्त धारा 313 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित किया गया है जिसमें अभियुक्ता ने प्रश्न 1 का उत्तर कुछ नहीं कहना, प्रश्न 2 का उत्तर मुकदमा रंजिशन व पार्टीबन्दी के कारण चलना, प्रश्न 3 का उत्तर सफाई साक्ष्य प्रस्तुत न करना, प्रश्न 4 का उत्तर वह निर्दोष है उसे झूठा फसांया गया है।

अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2024 को **अभियुक्त उत्तम सिंह** का धारा 313 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित किया गया है जिसमें अभियुक्त ने प्रश्न 1 का उत्तर गलत होना, प्रश्न 2 लगायत 6 का उत्तर गलत बयान देना, प्रश्न 7 का उत्तर मुकदमा रंजिशन व झूठा चलना, प्रश्न 8 का उत्तर सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करना तथा प्रश्न 9 का उत्तर वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है, कहा है।

दिनांक 11.04.2025 को अभियुक्त उत्तम सिंह का धारा 313 दं0प्र0सं0 का अतिरिक्त बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने प्रश्न 1 का उत्तर गलत होना, प्रश्न 2 लगायत 4 का उत्तर गलत बयान व झूठी बरामदगी होना, प्रश्न 5 का उत्तर गलत आरोप पत्र दाखिल करना, प्रश्न 6 लगायत 7 का उत्तर गलत बयान देना, प्रश्न 8 का उत्तर रंजिशन मुकदमा चलना व प्रश्न 9 का उत्तर सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करना व प्रश्न 10 का उत्तर वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है, कहा है।

दिनांक 11.09.2025 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उत्तम सिंह का अतिरिक्त धारा 313 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित किया गया है जिसमें अभियुक्त ने प्रश्न 1 का उत्तर कुछ नहीं कहना, प्रश्न 2 का उत्तर मुकदमा रंजिशन व झूठा चलना, प्रश्न 3 का उत्तर सफाई साक्ष्य प्रस्तुत न करना, प्रश्न 4 का उत्तर वह निर्दोष है उसे झूठा फसांया गया है, कहा है।

15– सफाई साक्ष्य में बचाव पक्ष की तरफ से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16– अभियोजन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन ने अपने साक्ष्य से लिखित तहरीर को प्रदर्श क–1, पंचायतनामा मृतक रामसिंह को प्रदर्श क–2, घटनास्थल नक्शा नजरी को प्रदर्श क–3, घटना में प्रयुक्त दुपट्टा की फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–3अ, दुपट्टा की फर्द बरामदगी का नक्शा नजरी को प्रदर्श क–4, सी0डी0आर0 को प्रदर्श क–5, आरोप पत्र को प्रदर्श क–6, दुपट्टा छीटदार को वस्तु प्रदर्श–1, एक बैट्री लावा कम्पनी को वस्तु प्रदर्श–2, मोबाइल लावा कम्पनी का बैक कवर गोल्डन कलर मय का कवर को वस्तु प्रदर्श–3, चिट्ठी आर0आई0 को प्रदर्श क–7, चिट्ठी सी0एम0ओ0 को प्रदर्श क–8, नमूना शील को प्रदर्श क–9, फोटोलाश को प्रदर्श क–10, चालान लाश को प्रदर्श क–11 व पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–13 के रूप में साबित किया है। उक्त से अभियोजन कथानक साबित है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डादेश पारित किया जाये।

17– अभियुक्तगण की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियोजन ने अभियोजन कथानक के समर्थन में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है उससे अभियोजन कथानक साबित नहीं है। अभियोजन ने जो सी0डी0आर0 प्रस्तुत किया है उसके साथ धारा 65–बी(4) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और सी0डी0आर0 के आधार पर की गयी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी गलत है। अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य हैं।

18– जहॉ तक अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण उत्तम सिंह व रोशनी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का प्रश्न हैः–

19– पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु प्रस्तुत मामले में कुल 06 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। वादी के लिखित तहरीर व पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेख/दस्तावेजी साक्ष्य से यह दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित न होकर बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

आपराधिक विधि का सिद्धान्त है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषसिद्धि करने हेतु **पांच स्वर्णिम नियम (Five Golden rule)** निर्धारित किये गये हैं जो निम्न हैंः–

1- Complete Chain of Circumstances **2-** Exclusion of other hypotheses

3- Establishing Every Link, **4-** Motive, **5-** Concurrence of All Circumstances

परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सुनहरा नियम यह है कि अभियोजन पक्ष को अपराध से जुड़े सभी सबूतों और परिस्थितियों की एक अटूट श्रृंखला (Complete Chain) साबित करनी चाहिये। यह श्रृंखला स्पष्ट रूप से केवल आरोपी के अपराध की ओर इशारा करे और आरोपी के निर्दोष होने की सम्भावना को पूरी तरह खारिज कर दे।

शरद बिरदी चन्द बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में निर्धारित किये गये **पांच स्वर्णिम सिद्धान्त (पंचशील)** निम्नलिखित हैंः–

1. **पूरी तरह साबित होनाः–** जिन परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है उन्हें अदालत में ठोस रूप से साबित किया जाना चाहिये। (''हो सकता है'' और होना

चाहिये के बीच कानूनी अन्तर होता है'')

2. **केवल एक ही निष्कर्षः–** साबित किये गये तथ्य केवल आरोपी के दोषी होने की परिकल्पना (Hypothesis) से मेल खाने चाहिये, और किसी अन्य सम्भावना की व्याख्या नहीं करनी चाहिये।

3. **निर्णायक प्रकृतिः–** सभी परिस्थितियॉ ठोस और निर्णायक स्वभाव की होनी चाहिये।

4. **अन्य सम्भावनाओं का बहिष्करणः–** परिस्थितियों को हर उस सम्भावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिये जो आरोपी के निर्दोष होने का संकेत देती हों।

5. **अटूट श्रृंखलाः–** साक्ष्यों की एक ऐसी सम्पूर्ण और अटूट श्रृंखला होनी चाहिये जो अदालत के मन में कोई उचित संदेह (Reasonable Doubt) न छोड़े और यह साबित करे कि यह अपराध केवल और केवल उसी व्यक्ति ने किया है।

20– घटना का आशय (Motive)- उक्त तथ्य को साबित करने का भार अभियोजन पर है। अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू–1 वादी अनिल सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि ''मेरा भाई अभियुक्ता रोशनी के घर आता जाता था। मेरे भाई रामसिंह को रोशनी, उत्तम, राकेश व पुष्पा चारों लोगों ने मिलकर मारा था। मेरे भाई को रोशनी ने उस दिन रात में फोन करके बुलाया था। मेरे भाई का मोबाइल नं0–7052165510 है।'' अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–3 विवेचक निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि ''बयान अभियुक्ता रोशनी के प्रेम सम्बन्ध मृतक रामसिंह से पूर्व में थे। उसकी शादी होने के बाद उसने मिलना जुलना छोड़ दिया। उसके बाद साथ में पढ़ने वाले उत्तम सिंह से सम्बन्ध बना लिया। यह रामसिंह को पसन्द नहीं था और धमकी देता था जिस कारण हम दोनों योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 20/21.06.2018 की रात में उत्तम सिंह के मोबाइल नम्बर 7348270689 से रामसिंह के मोबाइल नं0–7052315510 पर कॉल करके अपने बाग में बुलाया। थोड़ी देर बाद रामसिंह आ गया। जब हम मिलने गये तो पीछे से उत्तम सिंह ने मेरे दुपट्टे से रामसिंह का गला कस दिया, कि कहीं जिन्दा न बच जाये इसलिये उसकी बेल्ट व बनियान से हमदोनों ने मिलकर उसका गला कसकर मार दिया।'' उक्त अभियोजन साक्ष्य से घटना का मोटिव मृतक रामसिंह व अभियुक्ता रोशनी के मध्य पूर्व से प्रेम प्रसंग/नाजायज सम्बन्ध का होना और उक्त प्रेम प्रसंग/नाजायज सम्बन्ध के चलते अभियुक्ता रोशनी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी उत्तम सिंह के द्वारा दिनांक 20/21.06.2018 की रात्रि में रामसिंह की दुपट्टे से गला कसकर हत्या किये जाने का मोटिव साबित है।

21–घटना की त्वरित एफ0आई0आर0 दर्ज करानाः–अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 21.06.2018 के समय लगभग 00.00 बजे का होना बताया गया है और घटना की एफ0आई0आर0 दर्ज कराने हेतु मृतक के भाई अनिल सिंह द्वारा दिनांक 21.06.2018 को समय 09.20 बजे स्थानीय थाने पर रोशनी सिंह व अन्य के विरूद्ध लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 दिया गया है। जिस पर अंकित अपने हस्ताक्षर को वादी साक्षी ने प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। उक्त से दर्शित है कि उक्त घटना की एफ0आई0आर0 वादी द्वारा अविलम्ब दर्ज कराने से अभियोजन कहानी में कोई संदेह नहीं दिखता है। इस प्रकार अभियोजन कथानक विश्वसनीय प्रतीत होता है।

22– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक ने न्यायालय में सी0डी0आर0 प्रस्तुत करते समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी(4) का अनुपालन नहीं किया है जो कि आवश्यक है। इस प्रकार उक्त सी0डी0आर0 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी(4) के प्रमाण पत्र अभाव में साक्ष्य में ग्राहय नहीं है और वह द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आता है और उक्त आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। मौखिक बहस के समर्थन में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था पूरन मल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पर न्यायालय का ध्यान आकृष्टि कराया गया। जबकि अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण व उनके अधिवक्ता ने साक्ष्य की कार्यवाही के दौरान उक्त इलेक्ट्रानिक प्रलेख सी0डी0आर0 पर प्रदर्श अंकन के समय कोई आपत्ति नहीं किया है। विवेचक साक्षी ने न्यायालय में उक्त सी0डी0आर0 इलेक्ट्रानिक प्रलेख को न्यायालय में साबित किया है। अतः साबित इलेक्ट्रानिक प्रलेख सी0डी0आर0 प्राथमिक साक्ष्य की श्रेणी में है व साक्ष्य में ग्राहय है तथा अभियोजन कथानक का समर्थन करता है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परीक्षित अभियोजन साक्षी विवेचक निरीक्षक धर्मवीर सिंह पी0डब्लू–3 ने अपने साक्ष्य से कारित घ टना के आस पास अभियुक्तगण व मृतक के मोबाइल फोन वार्ता से सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध सी0डी0आर0 कागज सं0–5क/15 लगायत 5क/36 को प्रस्तुत व प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त इलेक्ट्रानिक प्रलेख सी0डी0आर0 पर साक्ष्य अंकन के दौरान प्रदर्श पड़ते समय अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति न किया जाना परिलक्षित है और अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने विवेचक साक्षी पी0डब्लू–3 से उक्त इलेक्ट्रानिक अभिलेख सी0डी0आर0 के साथ धारा 65–बी(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोई जिरह नहीं की गई है। **सोनू बनाम स्टेट आफ हरियाणा 2017 जे0आई0सी0 (Supp) 779 SC** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि **65-B- Call detail report-** No certification in accordance with sub-section (4) of S. 65-B of the Act- Whether the same could be relied on- Admissibility of-CDR in the form of electronic record-Not inherently admissible in evidence- Objection with regard to mode or method of proof to be raised at the time of the marking of the document as an exhibit and not later- Such objections not allowed to be raised in appeal.

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध व साबित इलेक्ट्रानिक प्रलेख सी0डी0आर0 (प्रदर्श क–5) उपरोक्तानुसार धारा 65–बी(4) प्रमाण पत्र के बिना भी साक्ष्य में पठनीय व ग्राहय है। अभियुक्तगण की तरफ से प्राथमिक स्तर पर उक्त आपत्ति न उठाकर बल्कि बहस के स्तर पर उठाई गयी है। अतः अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में बल नहीं है।

23– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के समय यह भी तर्क उठाया गया कि वादी के लिखित तहरीर व उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में मृतक रामसिंह के मोबाइल नम्बर में अन्तर है। उक्त से अभियोजन कथानक संदेहयुक्त दर्शित होता है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उक्त के सम्बन्ध में न्यायालय का अभिमत है कि मृतक रामसिंह के भाई वादी अनिल सिंह द्वारा दी गयी लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में अपने मृतक भाई रामसिंह का घ टना के समय प्रयोग किया जा रहा मोबाइल का नम्बर 7052315510 उल्लिखित किया है। जबकि अपने मुख्य परीक्षा साक्ष्य में अपने मृतक भाई का मोबाइल नम्बर 7052165510 बताया है। उक्त दोनों मोबाइल नम्बर में मामूली अन्तर है। साक्षी पढ़ा लिखा नहीं है। ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में बयान में थोड़ा बहुत अन्तर होना स्वाभाविक है। अन्य अभियोजन साक्ष्य से रामसिंह के मोबाइल नम्बर में समानता दर्शित होती है उसमें कोई अन्तर दर्शित नहीं होता है। केवल मृतक के मोबाइल नम्बर के मामूली अन्तर के आधार पर पूरे सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य को दूषित नहीं माना जा सकता है। जैसा कि **भोले शर्मा बनाम स्टेट 2018 (1) जे0आई0सी0 532 (All.)** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है ''S.3-Evidence-minor discrepancies on trivial matter- Evidence in its entirety cannot be rejected. वादी द्वारा अपने लिखित तहरीर में मृतक रामसिंह का उल्लिखित मोबाइल नम्बर व पी0डब्लू–3 विवेचक साक्षी के साक्ष्य (अभियुक्ता रोशनी द्वारा मृतक राम सिंह का बताया गया मोबाइल नम्बर 7052315510) में समानता है। उपरोक्त के आधार पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में बल नहीं है।

24– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–5 पप्पू गुप्ता (घटना के दिन मृतक रामसिंह के साथ खाना बनाने गया था।) ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि ''मृतक रामसिंह कैटरिंग का काम करता था। घटना के तिथि दिनांक 20.06.2018 को मोहान रंजीत की लड़की की शादी में खाना बनाने मृतक को लेकर गया था। उसी रात 12.00 बजे के आस पास रामसिंह उर्फ वकई के फोन पर किसी का फोन आने पर वह बताकर अपने मोटर साइकिल से रात में चल दिया। दूसरे दिन सुबह बी0के0ट्रेडर्स के पीछे नहर में उसकी लाश पायी गयी।'' पी0डब्लू–5 पप्पू गुप्ता के उपरोक्त साक्ष्य से घटना के दिन साक्षी पी0डब्लू–5 पप्पू गुप्ता के साथ मृतक रामसिंह का मोहान रंजीत की लड़की शादी में खाना बनाने हेतु जाना तथा उसी रात लगभग 12 बजे उसके मोबाइल पर किसी का फोन आने पर मृतक रामसिंह द्वारा अपनी मोटर साइकिल से विवाहस्थल से अकेले निकलना साबित है।

25– विवेचक पी0डब्लू–3 निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने अपने साक्ष्य से वादी की निशादेही पर दिनांक 21.06.2018 को घटनास्थल का निरीक्षण करना (नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–3) तथा घटना के दिन के मृतक रामसिंह के मोबाइल नम्बर का कॉल डिटेल का सी0डी0आर0 (इलेक्ट्रानिक प्रलेख) प्राप्त करना तथा उक्त सी0डी0आर0 (इलेक्ट्रानिक प्रलेख) को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित करना परिलक्षित है। पत्रावली पर उपलब्ध सी0डी0आर0 कागज सं0–5क/15 लगायत 5क/36 के सम्पूर्ण अवलोकन से यह दर्शित

है कि दिनांक 30.05.2018, 10.06.2018, 11.06.2018, 15.06.2018, 19.06.2018 व 20.06.2018 को अभियुक्त उत्तम सिंह व रोशनी के मध्य मोबाइल नम्बर 7348270689 से मोबाइल नम्बर 8953166963 से कई बार बात हुई है तथा घटना वाली रात **दिनांक 21.06.2018 को समय 1:30:06 से लेकर 1:57:22 के बीच 6 बार अभियुक्त उत्तम सिंह ने अपने मोबाइल नम्बर 7348270689 से मृतक रामसिंह के मोबाइल नम्बर 7052315510 पर बातचीत हुई।** उसके बाद दिनांक 21.06.2018 को ही अभियुक्त उत्तम सिंह व रोशनी के मध्य उपरोक्त मोबाइल नम्बर से समय 02:05:04 से लेकर 03:07:08 समय तक 11 बार लगातार बात चीत हुई है। उक्त कॉल डिटेल से यह दर्शित है कि घटना वाली रात भी देर रात में/असामान्य समय में अभियुक्त उत्तम सिंह व रोशनी के मध्य तथा उत्तम सिंह व मृतक राम सिंह से बातचीत हुई है। अभियोजन के अनुसार मृतक से अंतिम बार बात/कॉल अभियुक्तगण के ही मोबाइल से हुई है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में यह तर्क उठाया गया है कि उक्त मोबाइल नम्बर अभियुक्त उत्तम सिंह का नहीं है। परन्तु अपने धारा–313 दं0प्र0सं0 के बयान में अभियुक्त उत्तम सिंह ने उक्त मोबाइल नम्बर किसी अन्य व्यक्ति का होने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है न ही कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अवर न्यायालय की मूल पत्रावली में दाखिल प्रलेख 5क/9 ता 5क/10 सी0ए0एफ फार्म उत्तम सिंह का ही प्रस्तुत है। उक्त से यह दर्शित है कि विवेचक को दौरान विवेचना अभियुक्तगण उत्तम सिंह द्वारा बताया गया मोबाइल नम्बर 7348270689 अभियुक्त उत्तम सिंह का है, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है। अतः उपरोक्त साबित इलेक्ट्रानिक सी0डी0आर0 प्रलेख से भी प्रस्तुत घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता साबित होती है व उक्त इलेक्ट्रानिक प्रलेख सी0डी0आर0 (प्रदर्श क–5) अभियोजन कथानक का समर्थन करता है।

26– विवेचक पी0डब्लू–3 निरीक्षक धर्मवीर सिंह के साक्ष्य में आया है कि उक्त सी0डी0आर0 प्रलेख के आधार पर विवेचक द्वारा कड़ाई से पूंछतांछ करने व अभियुक्ता रोशनी की गिरफ्तारी करने पर अभियुक्ता रोशनी द्वारा विवेचक समक्ष यह बयान दिया गया है कि ''उसके सम्बन्ध मृतक रामसिंह से पूर्व से थे। उसकी शादी होने के बाद उसने उससे मिलना छोड़ दिया था तथा साथ में पढ़ने वाले उत्तम सिंह से सम्बन्ध बना लिये थे। यह रामसिंह को पसन्द नहीं था और वह धमकी देता था जिस कारण हम दोनों योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 20/21.06.2018 की रात में उत्तम सिंह के मोबाइल नम्बर 7348270689 से रामसिंह के मोबाइल नम्बर 7052315510 पर फोन करके अपने बाग में बुलाया। थोड़ी देर बाद रामसिंह आ गया। हम मिलने गये तो पीछे से उत्तम सिंह ने मेरे दुपट्टे से रामसिंह का गला कस दिया। कहीं जिन्दा न बच जाये इसलिये उसकी बेल्ट व बनियान से हमलोगों ने मिलकर गला कस कर मार दिया। अभियुक्त कीनिशादेही पर मृतक का मोबाइल कवर व बैट्री और घटना में प्रयुक्त दुपट्टा राजबहादुर शर्मा के बाग से बरामद किया।'' विवेचक पी0डब्लू–3 के उपरोक्त साक्ष्य से घटना के पूर्व अभियुक्तगण का अवैध प्रेम सम्बन्ध के चलते रामसिंह को रास्ते से हटाने हेतु उसे जान से मारने की योजना बनाना व उक्त पूर्व योजना के अनुक्रम में घटना के दिन अभियुक्ता

रोशनी का अपने मित्र उत्तम सिंह के मोबाइल नम्बर से मृतक रामसिंह के मोबाइल पर कॉल कर उसे मिलने के बहाने रात में अपने बाग में बुलाना, रामसिंह का बाग में पहुंचने पर सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए सह अभियुक्त उत्तम सिंह द्वारा अभियुक्ता रोशनी के दुपट्टे से रामसिंह का गला कस कर मारना व अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त दुपट्टे की बरामदगी कराना व फर्द बरामदगी दुपट्टा (प्रदर्श क–3अ) को न्यायालय में साबित कराना, दुपट्टा अभियुक्ता रोशनी का होना व उसे वस्तु प्रदर्श–1 के रूप में न्यायालय में साबित कराना व बरामद मोबाइल कवर वस्तु प्रदर्श–2 व बैट्री वस्तु प्रदर्श–3 (मृतक रामसिंह) को न्यायालय में साबित कराने आदि से अभियुक्तगण की इस घटना में संलिप्तता साबित है।

27– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–6 डा0 तौसीफ हुसैन रिजवी (मृतक रामसिंह के पोस्टमार्टमकर्ता चिकित्सक) ने मृतक रामसिंह का पोस्टमार्टम करते समय मृतक के शरीर के बाह्य परीक्षण में आंखे बन्द, जीभ बाहर निकली हुई पायी गयी। गर्दन के चारों ओर 30X2.75 सेंटीमीटर का लीगेचर मार्क पाया गया। लीगेचर मार्क का निशान सॉफ्ट रेडिश थी। शव के आन्तरिक परीक्षण में मृतक की हैड बोन टूटी पायी गयी तथा मृत्यु का कारण एण्टीमार्टम स्ट्रेंगुलेशन (गला घोटना) के कारण दम घुटना बताया गया है जो कि मृत्यु के लिए पर्याप्त था तथा मृत्यु एक दिन के अन्दर होना बताया गया है। पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर पर पाये गये उपरोक्त लीगेचर मार्क व गर्दन की चोटों के साइज से यह दर्शित होता है कि दुपट्टे जैसी वस्तु से रामसिंह का गला कसने व उक्त से रामसिंह की दम घुटने से मृत्यु होना साबित है। घटना में प्रयुक्त दुपट्टा अभियुक्त की निशादेही पर पुलिस द्वारा बरामद कर उसे न्यायालय में साबित कराया गया है। उक्त आपराधिक कृत्य किसी दूसरे द्वारा ही किया जाना सम्भव है न कि मृतक द्वारा स्वयं किया जाना सम्भव है। कोई व्यक्ति स्वयं का गला घोटकर अपनी हत्या नहीं कर सकता है। अतः उपरोक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है व अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता साबित होती है।

28– अभियोजन द्वारा परीक्षित उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य व उपरोक्त साबित अभियोजन प्रलेख के खण्डन में अभियुक्तगण द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियोजन के द्वारा परीक्षित उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य व साबित उपरोक्त अभियोजन प्रलेख अखण्डनीय होने के कारण विश्वसनीय है व अभियोजन कथानक का समर्थन करते है।

29– अभियुक्तगण द्वारा धारा–313 दं0प्र0सं0 के कथन के समर्थन में मुकदमा रंजिशन चलने के बाबत कोई ऐसा प्रतिरक्षा साक्ष्य/प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे मुकदमा रंजिशन चलना व अभियुक्तगण की प्रस्तुत मामले में निर्दोषिता सिद्ध होती हो।

30– अभियोजन के उपरोक्त साक्ष्य व विद्यमान परिस्थितिजन्य साक्ष्य से घटना के पूर्व से मृतक रामसिंह का अभियुक्ता रोशनी से अवैध प्रेम सम्बन्ध का होना, बाद में रोशनी का सह अभियुक्त उत्तम सिंह से प्रेम सम्बन्ध बनना, उक्त अवैध प्रेम सम्बन्ध की जानकारी रामसिंह के होने पर रामसिंह द्वारा विरोध करना व अभियुक्ता रोशनी से उससे सम्बन्ध

बनाने हेतु दबाव डालना, जिसके कारण रास्ते से रामसिंह को हटाने हेतु अभियुक्तगण द्वारा घटना के पूर्व एकराय होकर गुप्त योजना बनाना, उक्त योजना/सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्ता रोशनी द्वारा अपने प्रेमी/सह अभियुक्त उत्तम सिंह के मोबाइल नम्बर 7348270689 से रामसिंह के मोबाइल नम्बर 7052315510 पर दिनांक 20.06.2018 की रात को कॉल कर बाग में मिलने के बहाने बुलाना, फोन आने के पश्चात रामसिंह का अभियुक्ता रोशनी से बाग में मिलने हेतु कार्यस्थल से अकेले मोटर साइकिल से आना, आने पर अभियुक्ता रोशनी से रामसिंह के मिलने के दौरान पूर्व साजिश के तहत अभियुक्ता रोशनी के प्रेमी सह अभियुक्त उत्तम सिंह द्वारा पीछे से आकर रोशनी के दुपट्टे से रामसिंह का गला कसकर हत्या करना, इलेक्ट्रानिक प्रलेख सी0डी0आर0 के आधार पर अभियुक्ता रोशनी की गिरफ्तारी होना, कड़ाई से पूंछतांछ करने पर रोशनी का उत्तम सिंह के साथ उक्त घटना को अंजाम देने के सम्बन्ध में बयान देना, हत्या के पश्चात घटना में प्रयुक्त अभियुक्ता रोशनी के दुपट्टा की बरामदगी अभियुक्त के निशादेही पर पास के बाग से होना व मृतक का मोबाइल कवर व मोबाइल बैट्री बरामद होना, प्राप्त व साबित इलेक्ट्रानिक प्रलेख सी0डी0आर0 से दिनांक 20.06.2018 को **अभियुक्त उत्तम सिंह व रोशनी के मध्य मोबाइल नम्बर 7348270689 (उत्तम सिंह मोबाइल नम्बर) से मोबाइल नम्बर 8953166963 (अभियुक्ता रोशनी का मोबाइल नम्बर)** से कई बार देर रात्रि बात होना तथा घटना वाली रात दिनांक 21.06.2018 को भी समय 1:30:06 से लेकर 1:57:22 के बीच लगभग 6 बार **अभियुक्त उत्तम सिंह के मोबाइल नम्बर 7348270689 से मृतक रामसिंह के मोबाइल नम्बर 7052315510 पर** बातचीत होना, उसके बाद भी दिनांक 21.06.2018 को ही अभियुक्त उत्तम सिंह व रोशनी के मध्य उपरोक्त मोबाइल नम्बर से समय 02:05:04 से लेकर 03:07:08 समय तक 11 बार बात होना तथा मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के बाह्य शरीर पर गले में चारों ओर 30X2.75 सेंटीमीटर लीगेचर मार्क (दुपट्टे का लीगेचर मार्क होना) व दुपट्टे जैसी वस्तु से गला कसने से दम घुटने से वादी के भाई रामसिंह की मृत्यु होना, अभियोजन साक्ष्य के खण्डन में अभियुक्तगण द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत न करना आदि सम्पूर्ण परिस्थितियों की अटूट श्रृंखला से अभियुक्तगण की घटना में पूर्ण संलिप्तता होना साबित होता है। उक्त परिस्थितियों की अटूट श्रृंखला स्पष्ट रूप से केवल आरोपीगण के अपराध की ओर इशारा करती है और आरोपीगण के निर्दोष होने की सम्भावना को पूरी तरह खारिज करती हैं। अतः अभियुक्तगण कु0 रोशनी व उत्तम सिंह लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–302 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 साबित होने के कारण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

एस0टी0सं0–354/2018 अपराध सं0–188/2018 धारा–302 सपठित धारा–34 भा0दं0सं0 राज्य बनाम रोशनी आदि थाना हसनगंज के प्रकरण में आरोप धारा–302 सपठित धारा–34 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण कु0 रोशनी सिंह व उत्तम सिंह को दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। आज न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण का जमानत बन्धपत्र निरस्त किया जाता है एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण कु0रोशनी सिंह व उत्तम सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली दण्डादेश के बिन्दु पर सुनवाई हेतु समय 2.30 पी0एम0 बजे पुनः पेश हों।

(प्रेम प्रकाश)
JO CODE: UP6506
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3,
उन्नाव।

दिनांक 12.06.2026

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पुनः आज समय 2.30 बजे प्रस्तुत हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

1. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं दोषसिद्ध अभियुक्तगण व उनके विद्वान अधिवक्तागण को दण्ड के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

2. दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। उनका कोई पूर्व दोष सिद्धि के बाबत अभियोजन द्वारा कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं है। दोषसिद्ध अभियुक्त उत्तम सिंह कम उम्र का है व घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। दोषसिद्ध अभियुक्ता रोशनी सिंह के पिता नहीं है। वह सबसे बड़ी है। प्राइवेट नौकरी कर किसी तरह जीवन यापन करती है। प्रस्तुत मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है। अतः उन्हें न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा षड़यंत्रपूर्वक सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी के सगे भाई रामसिंह की दिनांक 21.06.2018 की रात में मिलने के बहाने अपने बाग में बुलाकर दुपट्टा से गला कस कर उसके भाई की हत्या करने का आरोप दोषसिद्ध है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण का उक्त अपराध जो विरल से विरलतम श्रेणी का अपराध है। अतः सभी दोषसिद्ध अभियुक्तगण को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाये।

4. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण कु0 रोशनी सिंह व उत्तम सिंह को भा0दं0सं0 की धारा–302 सपठित धारा 34 में दोषसिद्ध किया गया है।

5. उल्लेखनीय है कि भा.दं.सं. की धारा–302 के अंतर्गत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास और जुर्माने के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्राविधान है।

6. मृत्यु दण्ड से दण्डित किये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक खण्डपीठ के द्वारा **(1980) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 684 बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की **(1983) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 470 मच्छी सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य** में प्रतिपादित विधि व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण है।

7. उपरोक्त वर्णित बचन सिंह के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्ड के दण्ड के लिये गुरूतरकारी परिस्थितियों (Aggravating Circumstances) पर आधारित Crime Test तथा उपशमनकारी परिस्थितियों (Mitigating Circumstances) पर आधारित Criminal Test के आधार पर दोनो परिस्थितियों के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए मृत्यु दण्ड दिये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जब कि मच्छी सिंह के मामले में मृत्यु दण्ड के दण्ड के लिये विरल से विरलतम कोटि में घटना के आने को भी मृत्यु दण्ड के लिये आधार बनाया गया है।

8. उपरोक्त सिद्धांतो को समाहित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था–**शंकर किशन राव खाड़े बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्रा 2013 सी.आर.एलजे. 2595** में प्रतिपादित किया गया है कि– "The list of cases mentioned above, wherein this court had awarded death sentence, is not exhaustive but only illustrative. This bench in Sangita and others Vs. State of Haryana (2013) 2 SCC 452 , noticed that the circumstances of the criminal referred to in Bacchan Singh (AIR 1980 SC 898) appeared to have taken a bit of back seat in the sentencing process and held despite Bacchan Singh, the particular crime continues to play a more important role than the crime and criminal. In conclusion, we have said, inter alia , as follows -

1. The application of aggravating and mitigating circumstances needs a fresh look. This court has not endorsed that approach in Bacchan Singh. In any event , there is little or no uniformity in the application of this approach .

2. Aggravating circumstances relate to the crime while mitigating circumstances relate to the criminal. A balance sheet cannot be drawn up for comparing the two. The considerations for both are distinct and unrelated. The use of the mantra of aggravating and mitigating circumstances needs a review.

3. In the sentencing process, both the crime and criminal are equally important. We have , unfortunately not taken the sentencing process as seriously as it should be with the result that in capital offences, it has become judge centric sentencing rather than principled sentencing.

4. The constitution bench of this court has not encouraged standardization and categorization of crimes and even otherwise it is not possible to standarize and categorize all crimes .

"In **Bacchan Singh (AIR 1980) SC 898 and Machhi Singh (AIR 1983) SC 957** cases, this court laid down various principles for awarding sentence-

<u>Aggravating circumstances- (Crime test)</u>

1. The offences relating to the commission of henious crimes like murder, rape, armed dacoity, kidnapping etc. by the accussed with a prior record of conviction for capital felony or offences committed by the person having a substantial history of serious assaults and criminal convictions.

2. The offence was committed while the offender was engaged in the commission of another serious offence.

3.The offence was committed with the intention to create a fear psychosis in the public at large and was committed in a public place by a weapon or device which clearly could be hazardous to the life of more than one person.

4. The offence of murder was committed for ransom or like offences to receive money or monetary benefits.

5. Hired killings.

6. The offence was committed outrageously for want only while involving inhumane treatment and torture to the victim.

7. The offence was committed by a person while in lawful custody.

8. The murder or the offence was committed, to prevent a person lawfully carrying out his duty like arrest or custody in a place of lawful confinement of himself or another. For instance, murder is of a person who had acted in lawful discharge of his duty under Section 43 Cr.P.C.

9. When the crime is enormous in proportion like making an attempt of murder of the entire family or members of a particular community.

10. When the victim is innocent, helpless or a person relies upon the trust of relationship and social norms, like a child, helpless woman, a daughter or a niece staying with a father/ uncle and is inflicted with the crime by such a trusted person.

11. When murder is committed for a motive which evidences total depravity and meanness.

12.When there is a cold blooded murder without provocation.

13. The crime is committed so brutally that it pricks or shocks not only the judicial conscience but even the conscience of the society.

<u>Mitigating Circumstances: (Criminal test)</u>

1.The manner and circumstances in and under which the offence was committed, for example, extreme mental or emotional disturbance or extreme provocation in contradistinction to all these situations in normalcourse.

2. The age of the accused is a relevant consideration but not a determinative factor by itself.

3. The chances of the accused of not indulging in commission of the crime again and the probability of the accused being reformed and rehabilitated.

4. The condition of the accused shows that he was mentally defective and the defect impaired his capacity to appreciate the circumstances of his criminal conduct.

5. The circumstances which, in normal course of life, would render such a behavior possible and could have the effect of giving rise to mental imbalance in

that give situation like persistent harassment or, in fact, leading to such a peak of human behaviour that , in the facts and circumstances of the case, the accused believed that he was morally justified in committing the offence.

6. Where The court upon proper apprecation of evidence is of the view that the death resulted in the course of commission of another crime and that there was a possibility of it being construed as consequences to the commission of the primary crime.

7. Where it is absolutely unsafe to rely upon the testimony of a sole eyewitness though prosecution has brought home the guilt of the accused."

9. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धांतो से यह स्पष्ट है कि दण्ड की मात्रा निर्धारित करते समय अपराध ही नहीं बल्कि अपराध की परिस्थितियॉ भी देखी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त अपराध की गुरूता को गम्भीर बनाने वाली एवं कम करने वाली परिस्थितियों के मध्य तुलना करते हुए यह देखा जाना चाहिये कि प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में आता है या नही।

10. प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई रामसिंह की दिनांक 21.06.2018 की रात में मिलने के बहाने अपने बाग में बुलाकर दुपट्टा से गला कस कर हत्या करने का आरोप दोषसिद्ध है। यदि अपराध की प्रकृति पर विचार किया जाय तो यह निश्चित रूप से रूह कपाने वाली और एक समाज विरोधी कृत्य है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मच्छी सिंह के वाद में प्रतिपादित सिद्धांतो के आधार पर विरल से विरलतम वाद के लिये, न्यायालय को निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना चाहिये–

i- क्या प्रकरण की घटना असामान्य है और उसमें आजीवन कारावास का दण्ड पर्याप्त दण्ड नहीं होगा?

ii- क्या अपराध की परिस्थितियॅा इस प्रकृति की है कि उसमें उपशमनकारी परिस्थितियों को सर्वाधिक महत्व देने के बाद भी अभियुक्त को मृत्यु दण्ड के अतिरिक्त कोई अन्य दण्ड दिये जाने का विकल्प नहीं है?

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बच्चन सिंह के वाद में दी गयी विधि व्यवस्था के आधार पर मृत्यु दण्ड को देते समय न्यायालय को निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना चाहिये–

i- मृत्यु दण्ड का दण्ड केवल अत्यंत जघन्य प्रकृति के मामले में विरल से विरलतम परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिये।

ii- दण्ड दिये जाते समय अपराध के साथ ही साथ अपराधी की परिस्थितियों को भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

iii- कारावास का दण्ड नियम है तथा मृत्यु दण्ड अपवाद है।

13. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण का पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियुक्तगण द्वारा यह उसका प्रथम अपराध होना कहा गया है। अभियुक्तगण के अतिरिक्त इनके परिवार में कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं है। अभियुक्तगण के परिवार की उस पर निर्भरता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा दौरान जमानत, जमानत की शर्तों का उल्लंघन न करते हुये विचारण की कार्यवाही में सहयोग किया गया है। उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थितियों, अभियुक्तगण की आयु, परिस्थितियां एवं उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त का उक्त कृत्य विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण को धारा–302/34 भा0दं0सं0 के आरोप में आजीवन कारावास से दण्डित किया जाना न्यायहित में न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

एस0टी0सं0–354/2018 अपराध सं0–188/2018 धारा–302 सपठित धारा–34 भा0दं0सं0 राज्य बनाम रोशनी आदि थाना हसनगंज के मामले में **सिद्धदोष अभियुक्तगण कु0रोशनी सिंह व उत्तम सिंह प्रत्येक को धारा–302 सपठित धारा–34 भा.दं.सं.** में दोषसिद्ध करते हुये प्रत्येक को **आजीवन कारावास एवं 10,000/–रूपए (दस हजार रूपए)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध उपरोक्त प्रत्येक अभियुक्तगण को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सिद्धदोष अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि उपरोक्त दण्डादेश में समायोजित की जायेगी।

वस्तु प्रदर्श अपील अवधी तक, अपील होने पर अपील के निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाय। दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अपील के अधिकार से अवगत कराया गया। दोषसिद्ध अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति अविलंब निःशुल्क दी जाये।

(प्रेम प्रकाश)
JO CODE: UP6506
दिनांक 12.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3,
उन्नाव।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज सुनाया गया।

(प्रेम प्रकाश)
JO CODE: UP6506
दिनांक 12.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3,
उन्नाव।